पत्रांक–2/न०वि०/गै०यो०/वेतन आ०(पदा०अभि०)/111/2017–247

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, राँची।

द्वाराः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक–02/02/18

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना व्यय मद से 02 नगर परिषदों में पदस्थापित प्रशासी पदाधिकारी/अभियंताओं के वेतनादि/बकाया वेतनादि भुगतान हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में कुल 30,90,602/– रू० (तीस लाख नब्बे हजार छः सौ दो रूपये) मात्र अनुदान राशि के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना व्यय मद से 02 नगर परिषदों में पदस्थापित प्रशासी पदाधिकारी/अभियंताओं के वेतनादि/बकाया वेतनादि भुगतान हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में कुल कुल 30,90,602/– रू० (तीस लाख नब्बे हजार छः सौ दो रूपये) मात्र अनुदान राशि के आवंटन की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :–

क्र०	निकायों का नाम	कुल आवंटित राशि	कोषागार/उप कोषागार	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
i	ii	iii	iv	v
1	झुमरी तिलैया नगर परिषद्	17,28,596	कोडरमा	कार्यपालक पदाधिकारी
2	चक्रधरपुर नगर परिषद्	13,62,006	चक्रधरपुर	कार्यपालक पदाधिकारी
	कुल राशि	**30,90,602**	(तीस लाख नब्बे हजार छः सौ दो रूपये)	

2. स्वीकृत अनुदान राशि की निकासी नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) के मांग संख्या–48 के अधीन स्थापना मद के मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–192–नगरपालिकाओं/नगरपालिका परिषद्‌ों को सहायता–उपशीर्ष–40–शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित कार्यपालक एवं अन्य पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य भत्ते पर व्यय हेतु अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–46–सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) (विपत्र कोड–48S221780192400646) के अंतर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि 2,93,92,000/– से की जायेगी।

3. स्वीकृत अनुदान राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपरोक्त तालिका में निकाय के नाम के सम्मुख स्तंभ–V में उल्लेखित पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी स्तंभ–IV में अंकित कोषागार/उपकोषागार से विपत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंतर्गत की जायेगी।

4. स्वीकृत राशि विभाग के स्तर से पदस्थापित प्रशासी पदाधिकारी एवं अभियंताओं के वेतनादि के लिए है, जिनका पदस्थापन स्वीकृत पद के विरूद्ध किया गया है। विभाग स्तर से संविदा पर नियुक्त अभियंताओं को उक्त स्वीकृत राशि से इस शर्त्त पर वेतन देय होगा कि संबंधित अभियंता के नियुक्ति पत्र में वेतनादि का भुगतान विभाग स्तर से किये जाने का प्रावधान किया गया हो।

D:Arun_Vinay-Non Plan Off Salary_2017-18_19

5. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष में निकासी की गयी राशि की उपयोगिता संबंधी विवरणी निम्नवत् है:-

क्र०	निकाय का नाम	स्वीकृत्यादेश की संख्या/तिथि	निकासी की गयी राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि
1	झुमरी तिलैया नगर परिषद्	44/23.07.15	783900	783900
		92/16.11.15	364860	364860
2	चक्रधरपुर नगर परिषद्	44/23.07.15	1271355	1271355

6. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 की कंडिका-5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् झारखण्ड कोषागार अधिनियम, 2016 के तहत् निर्धारित विपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

7. स्वीकृत अनुदान की राशि की निकासी/व्यय वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561/वि0, दिनांक-17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्र/अनुदेश के आलोक में नियम-संगत तरीके से की जायेगी तथा इस राशि से राज्य गठन के पूर्व का बकाया भुगतान नहीं किया जायेगा।

8. स्वीकृत अनुदान राशि से संबंधित निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी एवं अभियन्ता के वेतनादि (यात्रा भत्ता सहित), बकाया वेतन एवं अन्य भत्ता का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा और वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरांत राशि अवशेष रह जाती है, तो उसे ससमय प्रत्यर्पित किया जायेगा।

9. संबंधित निकाय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आवंटित राशि के भुगतान के पश्चात् व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में टी०भी०नं० एवं तिथि के साथ सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सीधे भेजते हुए उसकी एक प्रति सरकार को उपलब्ध करायेंगे।

10. संबंधित निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के बजट संबंधित धाराओं का अनुपालन करते हुए राशि का आहरण करेंगें। साथ ही, निकाय के लेखा में राशि को सम्मिलित करने के पश्चात् नियमानुसार व्यय करेंगे।

11. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग तथा राज्य वित्त (अंकेक्षण) विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने, जांच-पड़ताल एवं अंकेक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 (कंडिका-5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

1.2.18

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-2/न०वि०/गै०यो०/वेतन आ०(पदा०अभि०)/111/2017-247 राँची, दिनांक-02/02/18

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग/कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा/उपायुक्त, कोडरमा, तथा पश्चिमी सिंहभूम/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/स्थानीय लेखा परीक्षक, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा एवं चक्रधरपुर कोषागार/कार्यपालक पदाधिकारी, झुमरीतिलैया एवं चक्रधरपुर नगर परिषद/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/ऑनलाईन आवंटन हेतु श्री संदीप अग्रवाल, सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.2.18

सरकार के प्रधान सचिव।